

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक F 1-75/2008/20-1

भोपाल, दिनांक: 28/6/2008

प्रति,

- 1 समस्त जिला कलेक्टर
- 2 समस्त आयुक्त, नगर निगम
- 3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
- 4 समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत
- 5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश।

विषय:—अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की नीति।

शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा लंबे समय से कार्यरत अध्यापकों विशेषकर महिलाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य जरूरतमंद अध्यापकों को उनकी इच्छानुसार सुविधाजनक स्थान में रिक्त पदों पर पदस्थ होने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है।

1. परिभाषाएँ :-

- (i) अध्यापक से तात्पर्य स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक से है।
- (ii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य जिला पंचायत/जनपद पंचायत से है।
- (iii) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक संवर्ग के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, ग्रामीण

क्षेत्र में पदस्थ सहायक अध्यापक के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से है।

- (iv) यूनिक कोड से तात्पर्य है प्रत्येक अध्यापक को राज्य शासन द्वारा आबंटित यूनिक कोड।

निकाय अंतर्गत स्थानांतरण नीति

(I) स्वैच्छिक स्थानांतरण की शर्तें :-

- (i) अध्यापक संवर्ग में स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण 25 जुलाई, 2008 तक संबंधित जिला एवं जनपद पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल संबंधित स्थानीय निकाय के भीतर स्वैच्छा के आधार पर किये जा सकेंगे।

- (ii) जिला एवं जनपद पंचायत अंतर्गत संवर्गवार एवं विषयवार रिक्त पदों पर ही आवेदक के आवेदन के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण बिंदु (III) में दी गई वरीयता के क्रम में किये जा सकेंगे। किसी भी स्थिति में विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना नहीं की जाएगी।

- (iii) रिक्त पदों की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण से कराना आवश्यक होगा।

(II) स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया :-

- (i) सर्वप्रथम संवर्गवार एवं विषयवार विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी का प्रकाशन कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के सूचना पटल पर किया जाए। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं

सर्व 'शिक्षा अभियान की वेबसाइट पर भी 5 जुलाई 2008 तक उपलब्ध कराई जाए।

- (ii) रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु अध्यापक स्वेच्छा से 18 जुलाई 2008 तक नियम प्रारूप में स्थानांतरण आवेदन कर सकेंगे।
- (iii) संबंधित जिला एवं जनपद पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2008 तक आदेश जारी कर तदोपरांत रिक्त रहे पदों एवं स्थान की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र/आयुक्त लोक शिक्षण/आयुक्त, आदिवासी विकास को 28 जुलाई 2008 तक दी जाएंगी।
- (iv) स्थानांतरण आदेश में संबंधित अध्यापक को आबंटित 'यूनिक कोड' का उल्लेख आवश्यक होगा एवं आदेश का पृष्ठांकन जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण तथा जिला परियोजना समन्वयक को करना अनिवार्य होगा।

(III) स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु वरीयता क्रम : स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदनों पर निम्न वरीयता क्रम से विचार किया जाएगा:-

- (i) स्वयं अथवा पति/पत्नी के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित होने पर।
- (ii) निःशक्तजन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता होने पर)।
- (iii) पति-पत्नी दोनों शासकीय/स्थानीय निकाय की सेवा में हों तो उन्हें एक ही स्थान पर रखे जाने हेतु।
- (iv) विधवा अथवा परित्यक्ता।
- (v) अन्य महिलाएं।

(vi) अन्य पुरुष।

एक ही वरीयता के एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में सेवा में वरिष्ठ आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(IV) समय सीमा : स्वैच्छिक स्थानान्तरण 25 जुलाई, 2008 तक ही किए जा सकेंगे।

(V) जिला एवं जनपद पंचायत अंतर्गत स्वेच्छा के आधार पर उन्हीं अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति हो गई हो। ऐसे शिक्षाकर्मी/ संविदा शाला शिक्षक जिनका किन्हीं कारण से अध्यापक संवर्ग में क्रमशः संविलियन/नियुक्ति नहीं हुई है, उनका स्वैच्छिक स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

(VI) स्थानान्तरण आदेश में स्थानान्तरित किये गये आवेदक की वरीयता का उल्लेख भी किया जावेगा।

(VII) स्थानान्तरण के संबंध में वाद उत्पन्न होने पर अध्यापक जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे जिसका निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार




अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री, भोपाल, म.प्र.
2. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर ज्ञाप कमांक एफ ६-१/२००७/१/९ भोपाल, दिनांक ११ मई २००७ के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग भोपाल, म.प्र.
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.भोपाल
6. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन विकास विभाग भोपाल, म.प्र.
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


२८/६/०८

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग